Department of Industries & Commerce, Haryana

Form-III

"Certificate of Registration to be issued under Section 9(1) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012"

(See rule 5 and rule 6)

Certificate of Registration of Society

I hereby certify that a Society bearing the Registration Number and name as undermentioned has been registered this [13] day [Sep] month [2019] year under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Haryana Act No. 1 of 2012).

State Code		District Code			Year Of Registration				Registration Number				
H	R	1	3		2	0	1	9	0	2	9	2	8

Name Of the Society	Registered Office Address
HUMANITY E RELIGION FOUNDATION	HOUSE NO-258, WARD NO-3, GHIKARA ROAD, NEAR TAGOR SCHOOL, CH. DADRI

Issued under my hand at [Bhiwani] this [13] day of (month)[Sep] (Year)[2019] having Unique Identification Number - 2000139698

Issuing Authority,
District Registrar, , Haryana.

SOME IMPORTANT PROVISIONS OF THE HRRS ACT 2012 TO BE FOLLOWED :

- One Flat one vote.
- Collegium Scheme to be approved from District Registrar if members strength is more than 1000.
- Administrator if appointed will not enroll new members, incur capital expenditure and give employement in the society.
- Terms of Governing Body not to be more than 3 years.
- Member to be not less than 21 year age.
- Office bearers of society (Three to twenty one).
- General Body and other meeting should be conducted with quorum i.e 1st meeting - 40%, 2nd meeting - 25% and 3rd meeting - 15% (see entire Provisions)
- Submission of mandatory Annual Returns i.e. list of members, list of members of collegium, list of office bearers, Annual Report on working, Balance Sheet & Auditors Report, Copy of special resolution otherwise shall attract penalities & fines as per provisions of Act.
- In case of Joint Apartment owners, 1st owner will be eligible to contest the elections.
- Proxy voting not allowed.
- Condominium/ Association covered under Apartment Ownership Act 1983 is to be formed by owners only.
- Election observer may be appointed by District Registrar or on request of Society

Verification Link: https://haryanaindustries.gov.in/msme/verify/societyregistration/id/139698/reg/06-013-2019-02928

Scanned by CamScanner

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION

HOUSE NO-258, WARD NO-3, GHIKARA ROAD, NEAR TAGOR SCHOOL,

TEHSIL AND DISTT.-CHARKHI DADRI

<u>ज्ञापन पत्र</u>

कार्यक्षेत्र :– जिला चरखी दादरी एवम् समस्त हरियाणा।

<u>कार्य एवम् उद्देश्य</u> :– यह संस्था गैर राजनैतिक होगी ।

1. **HUMANITY E RELIGION FOUNDATION** (मानवता एक धर्म फाउंडेशन) का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में आपसी एकता और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देना तथा आपसी भाईचारे के वातावरण को पैदा करने का प्रयास करना। लोगों में मानवीय नैतिकता, सामाजिक नैतिकता, राष्ट्र प्रेम की व राष्ट्रीय शक्ति की भावना पैदा करने का प्रयास करना। सभी धर्मों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द, शांति एवं एकता कायम रखना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक-दूसरे की मदद करना।
2. समाज के लोगों की वैयक्तिक एवं घरेलू मुश्किलों को दूर करने का प्रयास करना व इनकी सामाजिक दिक्कतों से संबंधित सरकारी अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना, मिलना, बैठक इत्यादि के तमाम प्रयास करना।
3. ऐसे स्व-प्रेरित तथा जागरूक कार्यकर्ता तैयार करना जो समाज में व्याप्त अशिक्षा, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न एवं असमानता को दूर करने, गंदगी, बेरोजगारी, बीमारी एवं पिछड़ेपन को देश व समुदाय के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास में प्रभावकारी कदम निभा सकें।
4. वरिष्ठ नागरिक, विधवा, अपंग, विकलांग, मंदबुद्धि व गरीब लोगों के कल्याण के लिए काम करना तथा उन्हें हर सहायता पहुँचाना तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता पहुँचाना व उसके प्रति लोगों को जागरूक करना जैसे पेंशन, बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आदि। महिलाओं, दलितों, बूढ़ों-बुजुर्गों, गरीब व असहाय लोगों को बिना किसी जाति, धर्म भेदभाव के आर्थिक सहायता करना व करवाना, रहन-सहन, खाने-पीने का प्रबंध करना व उनके लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना व इनकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करना।
5. समाज में व्याप्त कुरूतियों जैसे-दहेज प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, रूढ़िवादिता, नशाखोरी, बालश्रम, आपसी रंजिश इत्यादि को समाप्त करने के लिए लोगों को जागरूक करना। इसके अलावा अन्य गैर कानूनी कार्य व अपराध में लिप्त होने को रोकने के संबंध में आवश्यक, प्रभावशाली व कानूनी प्रयास करना। समाज में हो रहे गरीब वर्गों पर अत्याचार व अन्याय के खिलाफ कार्यवाही करना।

...ITY E RELIGION FOUNDATION ...3 Gikhara Road, Charkhi Dadri — President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri — Gen. Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri — Cashier

Scanned by CamScanner

6. समाज की गरीब,दलित,कमजोर,पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्गों की लड़कियों की शादी-विवाह, पढ़ाई आदि में आर्थिक मदद करना तथा उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना व विवाह योग्य होने पर उनके घर वालों की मदद से उनकी शादी करवाना/मदद करना।

7. लड़कियों/महिलाओं की गिरती जनसंख्या को रोकने के लिए कार्य करना व सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की योजना को समाज में लागू करवाने में मदद करना व उसका प्रचार-प्रसार करना। महिला एवं बाल विकास के उत्थान के लिए कार्य करना व उनके अधिकारों की रक्षा करना व उन्हें अधिकार दिलवाने के लिए प्रयास करना।

8. आम जनता के उपयोग के लिए कम्युनिटी हाल, बारात घर, वृद्धाश्रम, महिला आश्रम, धर्मशाला, हैल्थकेयर सेंटर, संगीतालय, नृत्यालय, अनाथालय, बालबाड़ी, आंगनवाड़ी, शिशुगृह (जज्जा-बच्चा केन्द्र) वाचनालय, पुस्तकालय, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, अस्पताल, पशु चिकित्सालय, स्टेडियम, स्टूडियो, हास्टल, रात्रि निवास आदि का निर्माण करना/खुलवाना व उसका रख-रखाव करना तथा विभिन्न सार्वजनिक सामाजिक विकास के कार्यक्रम चलाना व उनका संचालन करना।

9. पब्लिक-पुलिस जागरूकता कार्यक्रम चलाना। अपराधियों /असामाजिक तत्व के लोगों से समाज को जागरूक रखना तथा गलत लोगों के खिलाफ सरकार व प्रशासन को अवगत कराना। समाज में बढ़ते अपराध को रोकना, प्रभावित लोगों को समाज व राष्ट्र के साथ जोड़ना, असामाजिक तत्वों से निपटने एवं सरकार की बहुमुखी योजनाओं को साकार करने में ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा घर-घर जाकर जन जागृति हेतु अभियान चलाना।

10. सभी धर्मों व वर्गों के विकलांगों, महिलाओं, निःशक्तों एवं अन्य जरूरतमंद को शिक्षा, छात्रावास, तकनीकी प्रशिक्षण एवं स्वयं सहायता समूहों का गठन कर स्वावलंबन हेतु छोटे-मोटे गृह उद्योग, शिल्प कला, हस्तकला, ज्ञान आदि देने का प्रयास करना।

11. समाज के कमजोर, गरीब, निर्धन, अपंग, असहाय, निराश्रित, बेसहारा बच्चों, विधवा औरतों व वृद्ध पुरूषों आदि को समाज में उचित सम्मान व सहायता, सहयोग उपलब्ध कराने हेतु उचित प्रयास करना। आदिवासी, ग्रामीण एवं शहरी गरीबों अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षिणात्मक केन्द्रों का संचालन एवं निर्देशन करना।

12. माध्यम से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई टंकण टाइपिंग, शार्ट हैंड, कंप्यूटर शिक्षा, कला, क्राफ्ट, पेंटिंग, माडलिंग, संगीत, नृत्य शारीरिक शिक्षा, योगा, साक्षरता अभियान, अनौपचरिक शिक्षा आदि की शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना व इन प्रशिक्षण केन्द्रों को आर्थिक मदद करना व उनका सुचारू रूप से संचालन करना।

13. धर्मार्थ आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं अन्य चिकित्सा-पद्धतियों, चिकित्सा-विद्यालयों, धर्मार्थ सैनिटोरियमों, नर्सिंग संस्थाओं, प्रसूति-गृहों, शिशु कल्याण-केन्द्रों, औषिधि निर्माणशालाओं रसायन- शालाओं, चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों का निर्माण संचालन एवं सहयोग करना। समय-समय पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना/ करवाना तथा ऐसे कार्यों में सहयोग करना। स्वस्थ जीवन सर्व हेतु हो ऐसे प्रयासों में यथासंभव योगदान देना।

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi
Gen. Sec.

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi-Dadri
Cashier

Scanned by CamScanner

14. समाज के सर्वांगीण विकास हेतु हर सम्भव प्रयास करते हुए व्यक्तियों को मन,वचन,कर्म से श्रेष्ठ बनने हेतु प्रेरित करना तथा जीवन में शुद्दता, पवित्रता, शहनशीलता, सहिष्णुता उत्पन्न एवं विकसित करने के लिए प्रयास करना |
15. सर्वधर्मार्थ शिक्षण संस्थाओं जिनके अंतर्गत विद्यालय, वैदिक गुरूकुल, मदरसों, आध्यात्मिक एवं योग विद्यालय, छात्रावास तथा व्यायामशाला आदि का निर्माण, संचालन एवं सहयोग करना। विश्व में नैतिक एवं मानव मूल्यों की स्थापना यथासंभव योगदान देना।
16. बेरोजगार युवाओं को रोजगार आदि की जानकारी देना, उन्हें रोजगार दिलाने में मदद करना तथा उनको सहयोग एवं मार्ग-दर्शन कर सहायता उपलब्ध कराना।
17. कृषि क्षेत्र :- बढती जनसंख्या तथा घटते हुए भू-जल स्तर को मध्यनजर रखते हुए कृषि क्षेत्र में छोटे किसानो को भोगोलिक परिस्थितियों के अनुसार फसल उगाने बारे लोगो में जागरूकता लाना |
18. यातायात नियम :- बढती हुई गाडियों की भीड़ के कारण सडको पर जाम की स्थिति बनी रहती है | ऐसे समय में यातायात के नियमो का पूरे तरीके से पालन करना ही समाधान है | इसके लिए समाज में जागरूकता लाई जानी है |
19. रक्त दान :- रक्त दान महा दान है | दान किया हुआ रक्त किसी की जिन्दगी बचा सकता है | इस स्लोगन को केवल पढने मात्र के लिए ही नही बल्कि इसको सार्थक बनाने के लिए समाज में जागरूकता लाई जानी है |
20. जल सरंक्षण अभियान:- घटते हुए पेयजल के संसाधनो को मध्यनजर रखते हुए जल का रोजाना प्रतिव्यक्ति द्वारा बचाया जाना समय की जरूरत है इसको अभियान बनाकर लोगो में जागरूकता लाई जानी है |
21. शरीर दान:- बढ़ी हुई साइंस तकनीक के कारण आज व्यक्ति वास्तव में अमर हो सकता है | मरने के बाद अपने शरीर का दान करने के बाद किसी लाचार, बेबस, अंगहीन व्यक्ति के शरीर में मरे हुए व्यक्ति के अंग प्रत्यार्पण करने के बाद अंगहीन व्यक्ति को सही अंग मिलेंगे और मरने वाले व्यक्ति के अंग उसके मरने के बाद भी संसार में विधिवत रूप से कार्य करते रहेंगे | जिससे अमर होने जैसी कहावत भी चरितार्थ हो सकेगी | इस बारे में समाज को जागरूक किया जाना है |
22. फाउंडेशन द्वारा स्थापित किए गए संस्थानों के लिए प्रबंध समिति, प्रबंधक/संचालन समिति व उप समितियों का गठन व विगठन करना।
23. फाउंडेशन के सदस्यों व आम जनता के हितों व अधिकारों की रक्षा के लिए संबंधित विभागों से पत्र व्यवहार करना व आवश्यकता पड़ने पर न्यायालयों में जाना तथा संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करना।
24. सरकार की भागीदारी योजना के अंतर्गत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। उपभोक्ता कल्याण एवं उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक कार्य करना।
25. फाउंडेशन के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुचाना व आवेदन करने में मदद करना। सरकारी योजनाओ का प्रचार प्रसार करने के लिए कैम्पेन चलाकर लोगो तक पूर्ण जानकारी पहुचाना |
26. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की कालोनियों में पार्क, सीवर, पानी, नलकूप, स्कूल, बिजली आदि मूलभूत सुविधाओ की सरकार द्वारा व्यवस्था कराना व करना।
27. सरकारी विद्यालयों में छात्र/छात्राओ की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाना | व सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने में सहयोग करना |

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road,

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri

Scanned by CamScanner

28. बहुत तेजी से बढती जनसख्या देश की प्राथमिक समस्या है | जनसख्या नियंत्रित करना समय की सख्त जरूरत है | जनसख्या नियन्त्रण ही देश को विकसित देशो में पंहुचा सकता है | इस बारे में समाज में जागरूकता लाना है |

29. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। स्वच्छता एवं हरियाली का विस्तार करना, वृक्षारोपण, फूलों के पौधे आदि लगाना व इसके लिए समय-समय पर शिविर आदि का आयोजन करना। पर्यावरण प्रदूषण आदि समस्या के समाधान संबंधी कार्य करना।

30. फाउंडेशन के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल महाविद्यालय, आयुर्वेदिक, ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी एक्यूपंचर इलेक्ट्रा पद्धति के महाविद्यालय की स्थापना एवं प्रशिक्षण अनुसंधान कार्य करना, उन्हे हर प्रकार की मदद देना, विद्यालयों का अधिग्रहण करना तथा फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में प्रबंधक, अध्यापक, प्रधानाचार्य तथा तकनीकी तथा गैर-तकनीकी स्टाफ को नौकरी पर रखना तथा उनको हटाना।

31. समाज राष्ट्र एवं विश्व के बौद्धिक, भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान व विकास के लिए भौतिक व आध्यात्मिक विज्ञान शोध संस्थान, शोध प्रयोगशाला, संग्रहालय, विज्ञान व कला, सेमिनार, तकनीकी शिक्षा केन्द्रों का निर्माण, संचालन व सहायोग करना तथा प्रचार व प्रसार की आधुनिक विधाओं/तकनीकों के सहयोग से सर्व प्रकार का प्रचार- प्रसार और प्रकाशन करना व करवाना।

32. फाउंडेशन के उद्देश्यों व मानव जीवन के उत्थान के बारे में किताबें, बैनर, पोस्टर तथा अन्य प्रकाशन सामग्री आदि को छपवाना।

33. सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब समाज के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार-प्रसार करना, संक्रामक रोगों जैसे एचआईवी एवं एड्स, क्षयरोग, कैंसर, एड्स आदि बीमारियों के बारे में लोगों को स्वास्थ्य रक्षा हेतु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाना तथा जानलेवा बीमारियों की रोकथाम के कार्यक्रम चलाना व सरकारी कार्यक्रमों का ज्ञान देना एवं चिकित्सा सुविधा हेतु सही मार्गदर्शन करना। परिवार कल्याण शिविरों का आयोजन करना एवं दातव्य चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना तथा समय-समय पर परिवार नियोजन, नेत्र चिकित्सा, टीकाकरण आदि शिविर का आयोजन करना।

34. पोलियो व अन्य निःशक्तता से ग्रसित विकलांगों का आपरेशन करवाना व उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करने एवं उन्हें रोजगार दिलाने हेतु अन्य कार्यक्रम चलाना। निर्बल एवं कुपोषण रोगियों, शिशुओं को चिकित्सकों की राय के अनुसार दुग्ध एवं अल्प पौष्टिक आहार का वितरण करना।

35. नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना करना तथा समाज को नशामुक्त बनाने का प्रयास करना। समय-समय पर रक्तदान व नेत्र दान शिविर का आयोजन व इसके लिए लोगों को प्रेरित करना। बहुजन हिताय- बहुजन सुखाय की नीति अपनाकर समाज को निर्भय व आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना।

36. जोखिम भरे व स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाले उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों को मुक्त कराना व उनकी शिक्षा व रहन-सहन की व्यवस्था करना। हौजरी निर्माण से संबंधित कार्य रहे कारीगर एवं हैल्परों को अधिकार दिलाने का प्रयास करना। किसी भी प्रकार के कार्यों में लगे मजदूरों को उनका हक दिलवाने में मदद करना।

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No. 3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Sheilee
President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No. 3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Bangwan
Gen. Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Sushil Aichwal
Cashier

Scanned by CamScanner

37. फाउंडेशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फाउंडेशन के नाम से जमीन या भवन आदि खरीदना या किराये पर लेना या देना।

38. अन्य समस्त सामाजिक कार्य जो मानवता के लिए वांछनीय हो यथा बाढ़, अकाल, महामारी भूकंप, आकस्मिक आपदाओं आदि से प्रभावित लोगों की सेवा के लिए आगे आना, उनके लिए शिविर लगाकर राहत कार्य चलाना एवं सेवाभाव से सेवा करना एवं सहायता पहुचाना |

39. अल्पसंख्यक समुदाय व पिछड़े वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाना तथा सामाजिक सुधार की मुख्य धारा में शामिल करना, उनके लिए सहायता कल्याण कार्यक्रम कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार तथा जागरूक करना तथा स्वयं सहायता समूह बनाना तथा तकनीकी आधार पर उत्थान करना।

40. फाउंडेशन द्वारा समाज के अशिक्षित महिलाओं एवं पुरुषों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से प्रौढ़ शिक्षा, वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को संचालित करना। कूड़ा चुनने वाले अनाथ असहाय बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना।

41. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेस्टिंग कशीदाकारी, एपलिक के बारे में जानकारी देना। गरीब एवं निःसहाय महिलाओं को लघु उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग की जानकारी देना एवं स्वावलंबी बनाने में मदद करना।

42. पिछड़े इलाकों का सर्वेक्षण करना एवं उनके विकास की योजना व उनकी जरूरत के मुताबिक उनको सहायता देना। समाज के पिछड़े वर्गो के सर्वागिण विकास के लिए स्कूलों व तकनीकी शिक्षा संस्थाओं एवं कॉलेजों आदि की स्थापना करना। समाज में अच्छी शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना तथा समाज के लोगों के जीवनस्तर को सुधारने का प्रयास करना।

43. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच जनता व समाज की समस्याओं से उन्हें अवगत कराना एवं निराकरण हेतु सैदव तत्पर रहना। आम लोगों व गरीब जरूरतमंदों की मदद करना।

44. नेत्रहीन, मूक बाधिर, विकलांगों आदि के लिए छोटे-मोटे उद्योग धंधे खोलकर प्रशिक्षित करना। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत संगीत, नाट्यकला आदि के लिए विकास कार्य करना। समाज में फैले छुआछूत, धर्म, साम्प्रदायिकता, नशाखोरी आदि को मिटाना तथा नैतिक उत्थान तथा राष्ट्रीयता की भावना के विकास का प्रयास करना।

45. मदरसों व मस्जिदों के इमाम, नायब इमाम, मुआजिम व मुदर्रिसीन/ शिक्षकों की उन्नति व विकास हेतु सरकारी अथवा गैर सरकारी मदद दिलाना तथा उनके समस्याओं के समाधान के लिए हर प्रकार के प्रयास करना व कार्यक्रमों का संचालन करना। सभी धर्मो के प्रचार-प्रसार हेतु भाईचारा के लिए फाउंडेशन कार्यरत रहेगी जैसे मदरसा, मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरूद्वारा, मठ का निर्माण करेगी। धर्मों के प्रचार हेतु किताबों व आई.ई.सी. मैटेरियल का प्रकाशन कर प्रचार करेगी।

46. महिलाओं एवं बाल बालिकाओं के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय/वाचनालय की स्थापना करना एवं बेरोजगार महिलाओं, युवक/युवतियों को हस्तकला, पशुपालन, वृक्षारोपण, टंकणकला आदि का सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित प्राप्त करवाना। महिलाओं को उर्जा के संरक्षण हेतु उन्नत चूल्हा, बायोगैस, गोबर गैस आदि के बारे में जानकारी देना।

47. अनाथ, विधवा, असहाय महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धों के लिए आवास, भोजन एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना। महिलाओं को स्वच्छता के महत्व को समझाना। विकलांग व्यक्तियों के विकास के हित में काम करना जैसे हस्तकला, शिल्पकला आदि विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण के माध्यम से स्वावलम्बी बनाना।

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Gen. Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Cashier

Scanned by CamScanner

48. भाषाओं के उत्थान के लिए उनका प्रचार-प्रसार करना व उनके लिए हिन्दी, उर्दू तथा अन्य भाषाओं की पुस्तक/पम्पफेलेट/अन्य प्रकार की सामग्री का मुद्रण एवं प्रकाशन करना।

49. फाउंडेशन की समस्त आय, आयकर के अधिनियम की धारा 11 (5) 1961 के तहत जमा की जाएगी व 11-ए, 12-ए, 80जी व एफसीआरए के अंतर्गत सहायता प्रदान करना व अन्य धाराओं का पंजीकृत करवाना।

50. सामान/संपत्ति खरीदने के लिए धन, दान, चंदा, उपहार या अन्य साधन से धन जुटाना और प्राप्त धन को केवल फाउंडेशन के उद्देश्यों को बढ़ाने हेतु लगाना और खर्चों से अधिक प्राप्त धन को आयकर कि धारा 11(5)2(15) 80जी को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत जमा की जाएगी तथा इन धाराओं के तहत परिवर्तित भी कर सकते है।

51. फाउंडेशन की चल या अचल संपत्ति से प्राप्त समस्त आय या कमाई फाउंडेशन -पत्र में उल्लेखित फाउंडेशन के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए पूर्णतः प्रयोग की जाएगी और लगाई जाएगी तथा इसका कोई भी लाभ फाउंडेशन के वर्तमान या निवर्तमान सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले किसी एक या अधिक सदस्यों को भुगतान नहीं किया जाएगा या किसी प्रकार के फाउंडेशन का कोई भी सदस्य फाउंडेशन की चल या अचल संपत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नहीं करेगा या इसकी सदस्यता के आधार पर किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं करेगा या फाउंडेशन के माध्यम से किसी प्रकार का लाभ अर्जित नहीं किया जाएगा।

52. **HUMANITY E RELIGION FOUNDATION** का मुख्य उद्देश्य समाज का शारीरिक. आर्थिक. शैक्षणिक. सामाजिक. नैतिक एवम् सांस्कृतिक विकास करना होगा।

53. **HUMANITY E RELIGION FOUNDATION** का मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग में कृषि कौशल,खेल भावना तथा स्वरोजगार का विकास करना होगा।

54. **HUMANITY E RELIGION FOUNDATION** का मुख्य उद्देश्य जनता व प्रशासन में समन्व्य स्थापित करना। सरकारी योजनाओं को पात्रों तक पहुँचाना।

55. **HUMANITY E RELIGION FOUNDATION** का मुख्य उद्देश्य धर्मशाला व धर्मशाला निर्माण करवाना,पुस्तकालय खोलना,स्ट्रीट लाईटे व अन्य हितकारी योजनाये बनाना होगा।

56. **HUMANITY E RELIGION FOUNDATION** का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा शिविरो व खेल आदि विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना होगा।

57. **HUMANITY E RELIGION FOUNDATION** का मुख्य उद्देश्य भारतीय जन जीवन मे राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता का प्रचार करना होगा।

58. **HUMANITY E RELIGION FOUNDATION** का मुख्य उद्देश्य सोसायटी की सम्पति तथा आय सोसायटी के हित के लिए खर्च होगी, इसमें से किसी भी सदस्य को सोसायटी की राशि या सम्पति का कोई भी भाग या बोनस आदि के रुप में नही दिया जायेगा।

59. **HUMANITY E RELIGION FOUNDATION** का मुख्य उद्देश्य इस समिति में सामिल होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो,किसी भी हरएक जाति तथा प्रगतिशील विचारधारा में विश्वास रखता हो, समिति के उद्देश्यों मे पूर्ण आश्था रखता हो व पागल न हो।

60. To take loan from any bank , society, institution, individual, firm, AOP, BOI, etc. for the purchases of movable or immovable assets i.e. van , vehicles, construction of building, hotels, library, laboratory and other needs of the society and for that purpose that property can be mortgaged.

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Gen. Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Cashier

Scanned by CamScanner

6. समिति के विधान के अनुसार निम्न प्रथम कार्यकारिणी को *HUMANITY E RELIGION FOUNDATION, HOUSE NO-258, WARD NO-3, GHIKARA ROAD, NEAR TAGOR SCHOOL, TEHSIL AND DISTT.-CHARKHI DADRI* समिति के प्रबन्ध का उतरदायित्व सौंपा गया। जिसका विवरण इस प्रकार है –

Sr. No	Name & Father's/ Husband's Name	Address	Age	Occupation	Designation	Signature
1.	Shilu Kumari W/o Sh. Pritam Kumar	VPO-Damkora, Tehsil-Loharu, Distt.-Bhiwani	23 Years	Study	President	Shilu
2.	Parveen Kumar S/o Sh. Zile Singh	Ward No-17, Pilani, Rajasthan	29 Years	Study	Vice-President	[illegible]
3.	Pritam Kumar S/o Sh. Ram Kumar	VPO-Damkora, Tehsil-Loharu, Distt.-Bhiwani	25 Years	Study	Secretary	Sangwan
4.	Mahender Singh Sangwan S/o Sh. Dharmpal Singh	Dev Colony, Ward No-1, Chirawa, Rajasthan	41 Years	Business	Joint-Secretary	[illegible]
5.	Sushil Kumar S/o Sh. Rajbir	VPO-Baralu, Tehsil-Loharu, Distt.-Bhiwani	26 Years	Agriculture	Cashier	Sushil Aaichwal
6.	Amit S/o Sh. Dharmbir	VPO-Kakroli Hatti, Tehsil-Badhra, Distt.-Charkhi Dadri	23 Years	Study	Member	Amit
7.	Shashikant S/o Sh. Karan Singh	VPO-Damkora, Tehsil-Loharu, Distt.-Bhiwani	26 Years	Business	Member	Shashikant
8.	Yamin S/o Sh. Sharif	VPO-Umarwas, Tehsil-Badhra, Distt.-Charkhi Dadri	28 Years	Business	Member	Yam
9.	Satish Kumar S/o Sh. Rajbir	VPO-Fartiya Kehar, Tehsil-Loharu, Distt.-Bhiwani	26 Years	Study	Member	[illegible]
10.	Manoj S/o Sh. Ramesh Kumar	Ward No-11,Old City,Loharu, Tehsil-Loharu, Distt.-Bhiwani	29 Years	Study	Member	[illegible]
11.	Vikas S/o Sh. Jaibir	VPO-Pichopa Kalan, Tehsil And Distt.-Charkhi Dadri	27 Years	Business	Member	[illegible]
12.	Mukesh Kumar S/o Sh. Rajpal	VPO-Badal,Tehsil And Distt.-Charkhi Dadri	25 Years	Agriculture	Member	Mukesh Kum

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Shilu
President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Sangwan

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Sushil Aaichwal

Scanned by CamScanner

13.	Surender Kumar S/o Sh. Satyanarayan	VPO-Barsana, Tehsil And Distt.-Charkhi Dadri	21 Years	Agriculture	Member	Surender
14.	Sunil S/o Sh. Sukhbir	VPO-Baralu, Tehsil-Loharu, Distt.-Bhiwani	30 Years	Agriculture	Member	Sunil

NOTARY GOVT. OF INDIA SAJJAN KUMAR VERMA DISTT. BHIWANI 9760

ATTESTED AS IDENTIFIED SAJJAN KUMAR VERMA ADVOCATE & NOTARY DISTT BHIWANI 12 SEP 2019

स्थानः– चरखी दादरी

तिथिः– 01-9-2019

गवाह1 Ram Singh
राम सिंह पुत्र हरीराम, मोहरू रोड Charkhi Dadri-127306

गवाह2
कुलदीप पुत्र हरीकिशन W.No. 1, मोहरू रोड च० दादरी-127306

गवाह

मैं उपरोक्त हस्ताक्षर कर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ तथा इन्होनें मेरे सामने हस्ताक्षर किए हैं ।

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri Gen. Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri Cashier

Scanned by CamScanner

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION

HOUSE NO-258, WARD NO-3, GHIKARA ROAD, NEAR TAGOR SCHOOL,

TEHSIL AND DISTT.-CHARKHI DADRI

नियम व उपनियम

1 समिति का नाम HUMANITY E RELIGION FOUNDATION.

2 समिति का पंजीकृत कार्यालय HOUSE NO-258, WARD NO-3, GHIKARA ROAD, NEAR TAGOR SCHOOL, TEHSIL AND DISTT.-CHARKHI DADRI

3 समिति हरियाणा राज्य के क्षेत्र के भीतर जिला चरखी दादरी में अपनी गतिविधियां करेगी।

4 सदस्यता

1) समिति के संस्थापक सदस्यों / मूल अंशदाता सहित अधिकतम 1000 सदस्य होंगे।

2) पात्रता : समिति के सदस्य के रूप में प्रवेश किये जाने के उद्देश्य से व्यक्तिगत :–

(1) प्रवेश की तिथि को 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए ।

(2) समिति के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना चाहिए ।

(3) प्रवेश फीस तथा वार्षिक अंशदान फीस जमा करनी चाहिए तथा सदस्य के रुप में बने रहने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को ऐसी फीस के भुगतान के बकाया में नहीं होना चाहिए ।

(4) दिवालिया तथा विकृत चित नहीं होना चाहिए ।

(5) एक वर्ष या अधिक के कारावास वाले नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्धदोष नही होना चाहिए।

3) सदस्यो के प्रकार /किस्म/प्रवग समिति निम्न अनुसार सदस्यों के चार विभिन्न प्रवगों की होगीः–

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri Gen. Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri Cashier

Scanned by CamScanner

1. <u>संस्थापक सदस्य</u> : समिति में 09 संस्थापक सदस्य होगे।
2. <u>आजीवन सदस्य</u> : किसी व्यक्ति को विहित फीस के भुगतान पर आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति उसके जीवन के लिए समिति के सदस्य के रूप में बना रहेगा । आजीवन सदस्यों की कुल संख्या 498 से अधिक नही होगी।
3. <u>साधारण सदस्य</u> : समिति में कुल 500 साधारण सदस्य होगें जो उनकी वार्षिक अंशदान फीस के भुगतान के बकाया में न होने तक केवल अपने सदस्यता का निरंतर उपभोग करेगें। साधारण सदस्यों को पदावधि सदस्यों के रूप में अर्थात दो से पांच वर्ष (वर्षो) जैसी भी स्थिति हो की अवधि के लिए शामिल किया जा सकता है तथा वह उसके पदावधि के पुरा होने पर समिति के सदस्य के रुप में समाप्त जब तक रहेगा तब तक दुसरी पदावधि के लिए शासकीय निकाय व्दारा इसे नवीनीकृत नहीं किया जाता है।

4) <u>सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान</u>

(1) सोसाइटी की सदस्यता के लिए दरें तथा वार्षिक अंशदान निम्न प्रकार होगा :

जो सोसाइटी द्वारा अपनी उपविधियों में निर्णीत किए जाए			
क्रम संख्या	सदस्य की किस्म	प्रवेश फीस	वर्षिक अंशदान
1	संस्थापक सदस्य	3100 /- रुपए	शुन्य
2	आजीवन सदस्य	2100 /- रुपए	शुन्य
3	साधारण सदस्य	100 /- रुपए	100 /- रुपए

(2) सदस्य के वार्षिक अंशदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को देय होगा जो ऐसे वर्ष के जून के 30 वें दिन तक अन्तिम रूप में भुगतान किया जा सकता है। चूककर्ता सदस्य की सदस्यता देय तिथि (30 जून)के बाद निलम्बनाधीन के रूप में समझी जाएगी तथा ऐसा सदस्य कथित वर्ष की प्रथम जुलाई के बाद कराए गए समिति के निर्वाचनों के दौरान अपना मत डालने के हकदार नही होगें।

(3) वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूक के कारण सदस्यता का निलम्बन भुगतान योग्य राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित चूक को चुकाने के बाद रदद किया जा सकता है। तथापि वह बाकी

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri — President
HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri — Gen. Secretary
HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri — Cashier

Scanned by CamScanner

के वितीय वर्ष के दौरान कराए गए किसी निर्वाचन में अपना मत डालने के लिए पात्र नही होगा।

5) **प्रवेश प्रक्रिया (अंशदाता से अन्यथा सदस्यों के लिए):**

(1)समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का प्रवेश समय समय पर इसके शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाएगा। किन्तु प्रधान का निर्णय अन्तिम निर्णय मान्य होगा।

(2)समिति के सदस्य के रूप में इच्छुक व्यक्ति विहित प्रारूप 10 विधिवत भरकर तथा हस्ताक्षरित कर समिति के नियमित सदस्य द्वारा अनुशासित सचिव को समर्थित दस्तावेजो सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) सचिव आवेदन की जांच करेगा तथा उसे निर्णय के लिए शासकीय निकाय के सम्मुख रखेगा।

(4) शासकीय निकाय आवेदन को स्वीकृत या रदद कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में शासकीय निकाय का निर्णय अन्तिम होगा। यह इसके निर्णय के लिए कोई कारण देने हेतू बाध्य नही होगा।

(5) शासकीय निकाय का अनुमोदन सदस्य को सूचित किया जाएगा उसका नाम हरियाणा समिति रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम 2012 के अधीन यथा विहित ऐसी रीति तथा प्रारूप में रखे जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाऐगा। तथा उसे समिति का पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

6) **सदस्यों के लिए पहचान पत्र :** प्रत्येक सदस्य के लिए पहचान पत्र सदस्य के रुप मे शामिल प्रत्येक सदस्य को समिति के व्यकितिगत सदस्य तथा महा सचिव द्वारा हस्ताक्षरित उसके फोटो संक्षिप्त ब्योरों तथा सदस्यता प्रवर्ग वाला पहचान पत्र जारी किया जाएगा

7). **सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताएं:**

(1)समिति के सभी सदस्य इसकी उपविधियों में यथा अन्तर्विष्ट तथा समय समय पर संशोधित समिति के नियमो तथा विनियमो द्वारा बाध्य होगें।

(2)अवैतनिक सदस्य के सिवाय प्रत्येक सदस्य को समिति के निर्वाचन में अपना मत डालने का अधिकार होगा परन्तु ऐसा सदस्य समिति के किसी देयों तथा देय तिथि से आगे तीन मास की अवधि के लिए वार्षिक अंशदान के भुगतान के चूककर्ता नहीं है।

(3)समिति के प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस देते हुए किसी कार्य दिवस को समिति की लेखा पुस्तकों शासकीय निकाय की बैठक तथा सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Shilel
President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Sangwan
Gen. Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Sushil Kaichwal
Cashier

Scanned by CamScanner

(4)प्रत्येक सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में समिति को सूचित करेगा जो समिति के सदस्यों के रजिस्टर में विधिवत अभिलिखित किया जाएगा तथा जिसके बाद समिति ऐसे सदस्य को नया पहचान पत्र जारी करेगी।

8). **सदस्यता की समाप्ति** : सदस्य के रूप में शामिल कोई व्यक्ति निम्नलिखित घटनाओं में समिति के सदस्य के रूप में नही रहेगा।

1)अधिनियम की धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को आकर्षित करने,

2)समिति के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रतिकूल उसके कार्य करने पर :

3)ऐसे सदस्यों के समिति की निधियों का वितीय गबन का दोषी पाए जाने पर :

4)समिति के जिला रजिस्ट्रार / रजिस्ट्रार /महारजिस्टार द्वारा हटाने के लिए अभ्यारोपण तथा निदेशनों पर,

5)अवैतनिक सदस्य समिति के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा यदि शासकीय निकाय इस निमित संकल्प पारित करते हुए ऐसा निर्णय करता है।

5 सामान्य निकाय :

1 आजीवन सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति समिति के आम सभा का निकाय का सदस्य होगा तथा समिति के शासकीय निकाय के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए जब तक हकदार होगा तब तक वह वार्षिक अंशदान सहित समिति के किन्ही देयों के भुगतान के बकायों में नही रहता है।

2 प्रत्येक आजीवन सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरूष मतदान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

6 सामान्य निकाय की बैठकें:

1 समिति के सामान्य निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो,बुलाई जाएगी। तथापि समिति के सामान्य निकाय की कम से कम एक बैठक बुलाई जाएगी जैसा कि वार्षिक सामान्य बैठक(ए. जी.एस) यथा अपेक्षित समिति के किसी अन्य कारोबार के अतिरिक्त समिति के विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के विचारण तथा अंगीकरण के लिए वित वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर एक वर्ष मे बुलाई जाएगी।

2 समिति का शासकीय निकाय या तो वह सामान्य निकाय के सदस्यों के कम से कम 1/10 से ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारणों सहित लिखित मांग की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इसके

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Gen. Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Cashier

Scanned by CamScanner

अधीन यथा विहित उचित नोटिस देने के बाद किसी समय पर समिति के सामान्य निकाय की असाधारण बैठक बुला सकता है।

3 सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिए संव्यहारित किए जाने वाले कारबार के एजेंडे की प्राप्ति बैठक की तिथि समय तथा स्थान सहित कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस सामान्य निकाय के सदस्यों को दिया जाएगा। ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित की जाएगी।

4 सामान्य निकाय की बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों के बहुमत द्वारा कुल सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक यदि सहमत हो,लघु नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है।

5 सामान्य निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम चार सदस्यों के अध्यधीन मत के लिए हकदार तथा व्यक्तिगत रूप में उपस्थित कुल सदस्यों के 40 प्रतिशत से होगी। गणपूर्ति की कमी के लिए स्थगित बैठक की दशा में स्थागित बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम तीन के अध्यधीन कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से कम नही होगी। सामान्य निकाय किसी विशेष संकल्प के विचारण के सिवाए ऐसी स्थगित बैठक में सभी कारबार पूरे करने के लिए सक्षम होगा। कोई विशेष संकल्प केवल ऐसी स्थगित बैठक में पारित किया जाएगा यदि समिति के कुल सदस्यो को कम से कम 25 प्रतिशत उपस्थित है।

6 सामान्य निकाय की सभी बैठकों की कार्यवाहियां सचिव द्वारा प्रयोजन के लिए अलग रूप से रखी गई कार्यव्रत पुस्तक (बांधी गई या खुल्ले पन्नों में) में अभिलिखित की जाएगी तथा ऐसे कार्यव्रत बैठक के अध्यक्ष तथा समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगें।

7.सामान्य निकाय की शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्यः

1. समिति को इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का अवधारण करने तथा पूरा करने में गाइड करना।
2. पॉलिसी मामलों का निर्णय करना जैसे कि समिति के नाम का परिवर्तन समिति के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों में संशोधन समिति के वार्षिक लेखों का अनुमोदन समिति इत्यादि की अचल परिसम्पतियों के निपटान के लिए अनुमोदन तथा सभी ऐसे अन्य कार्य जो हरियाणा समिति रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम तथा नियम 2012 के अधीन अपेक्षित हो।
3. शासकीय निकाय के सदस्यों को निर्वाचित करना।
4. शासकीय निकाय से किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक रिक्ति के विरूद्ध शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करना।

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Gen. Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Cashier

Scanned by CamScanner

8. शासकीय निकाय :

1. संयोजन : समिति का शासकीय निकाय निम्न अनुसार कुल 05 पदाधिकारियों तथा 09 सदस्यों का होगा।

   क. प्रधान

   ख. उप-प्रधान

   ग. सचिव

   घ. सह-सचिव

   ड़. खजांची

   च. शासकीय निकाय द्वारा किसी अवैतनिक सदस्य के सहयोजन सहित 09 कार्यकारी सदस्य ।

2. **शासकीय निकाय का निर्वाचन**

   1. शासकीय निकाय की अवधि जिला रजिस्ट्रार द्वारा इसके निर्वाचन के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की होगी।
   2. शासकीय निकाय निर्वाचनों को करवाने के लिए निर्वाचन की अनुसूची घोषित करेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा तथा निर्वाचनों को करवाने के लिए सामान्य बैठक को बुलाने से कम से कम 45 दिन पूर्व मत के हकदार सामान्य निकाय के सदस्यों की सूची भी अधिसूचित /प्रदर्शित करेगा। शासकीय निकाय तिथि समय तथा रीति सूचित करते हुए सभी सदस्यों को शासकीय निकाय के निर्वाचन करवाने के लिए नोटिस भेजेगा। शासकीय निकाय के लिए निर्वाचन करवाने के सम्बन्ध में सूचना जिला रजिस्ट्रार को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए भी भेजेगा यदि वह ऐसी इच्छा करें।
   3. मत के लिए हकदार समिति के सदस्यों की सूची के रूप में किसी अल्प का समिति के पदाधिकारियों के साथ परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाएगा। तथापि रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय राय की किसी भिन्नता की घटना मे अन्तिम होगा इसके नामांकन की समीक्षा तथा वापसी यदि कोई हो में विहित अवधि के भीतर दायर किए जाने के लिए नामांकन आमंत्रित करेगा।
   4. रिटर्निंग अधिकारी समिति के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित तिथि को निर्वाचन करवाएगा। मत के लिए पात्र सदस्य की स्वयं तथा जहां कही विवाद हो समिति द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रस्तुति पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Shiler
President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Sangwan
Gen. Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Sushil Sachwal
Cashier

Scanned by CamScanner

5. मतदान की तिथि को समय की समाप्ति के बाद रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा समिति का शासकीय निकाय गठित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शासकीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों की सूची 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा जो अपनी सन्तुष्टि पर उसका अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।

6. समिति के पदाधिकारी समिति की सेवाएं देने के लिए किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नही होगें।

3. शासकीय निकाय की किसी आकस्मिक रिक्ति को भरना :

शासकीय निकाय के किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्ति समिति की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक करने तक तदर्थ आधार पर सामान्य निकाय के सदस्यों में से यदि अपेक्षित हो शासकीय निकाय द्वारा भरी जा सकती है। शासकीय निकाय के ऐसे तदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को शासकीय निकाय की शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित नहीं की जाती है।

4. शासकीय निकाय की बैठक :

1. शासकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी। तथापि शासकीय निकाय प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा वित वर्ष में शासकीय निकाय की कम से कम चार बैठक होगी।

2. प्रत्येक ऐसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को शासकीय निकाय के सचिव द्वारा दिया जाएगा। तथापि शासकीय निकाय इसके सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत की सहमति से जब कभी ऐसा अपेक्षित हो लघु नोटिस पर बैठक कर सकता है।

3. शासकीय निकाय की बैठकों की गणपूर्ति अधिकतम 5 सदस्यों के अध्यधीन शासकीय निकाय के कुल सदस्यों के कम से कम 40 प्रतिशत से होगी। यदि गणपूर्ति विद्यमान नही हैं तो बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी। जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकतम तीन सदस्यों के अध्यधीन स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्य स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति करेगें।

4. शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिए प्रथक रुप से रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी। ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएगें । यदि अध्यक्ष या सचिव कार्यवृत हस्ताक्षर करने के लिए

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri

Scanned by CamScanner

उपलब्ध नही है तो वे शासकीय निकाय द्वारा यथा प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्ही दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएगें।

5. शासकीय निकाय को प्रत्येक बैठक के कार्यवृत शासकीय निकाय की परवर्ती बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाएगें।

5. **शासकीय निकाय की शक्तियां कृत्य तथा कर्तव्य :**

1 शासकीय निकाय समिति के लक्ष्यो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा समिति के सर्वोतम हित में कार्य करेगा। जिसके लिए इसे कथित उद्देश्यों के लिए समिति की निधियों तथा परिसम्पतियों के फैलाव के लिए सशक्त किया जाएगा।

2 शासकीय निकाय इस द्वारा यथा निर्णीत इसके नाम से निधियां उठाने तथा पूर्णस्वमित्व या पटटा आधार पर चल तथा अचल सम्पति खरीदने के लिए सक्षम होगा।

3. शासकीय निकाय समिति से सम्बन्धित या में निहित सभी अचल सम्पतियों का सम्पूर्ण प्रभार रखेगा तथा इन्हें ऐसी रीति में प्रबन्धित करेगा जैसा यह समिति के शासकीय निकाय के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्देशन के अध्यधीन उचित समझे।

4. शासकीय निकाय रीति जो वह समिति के सर्वोतम हित में उचित समझे में निधियां निवेश करने के लिए सक्षम होगा तथा यह निर्णीत रीति में समिति की ओर से सम्पतियां उधार लेने या गिरवी रखने या बन्धक रखने के लिए सक्षम होगा।

5. ऐसे कृत्यों को समय समय पर सौपे जाए की देखभाल करने के लिए विभिन्न स्थाई या तदर्थ समिति गठित करना।

6. निरन्तरता युक्त रीति में लिपिकीय लेखा तथा अन्य कृत्यों की देखभाल करने के लिए समिति के नियमित या अंशकालिक कर्मचारीयों को लगाने के लिए प्रबन्ध सृजित करना।

7. बाहरी स्त्रोत से कृतिप्रय कृत्य करना अर्थात समिति के परिसरों की सफाई सुरक्षा तथा समरूप अन्य रखरखाव गतिविधियां।

6. **शासकीय निकाय के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियां,कृत्य तथा कर्तव्य :**

1. **प्रधान**

कः सामान्य निकाय की तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियां नियन्त्रित करना ।

खः सभी ऐसे कार्य,कर्म तथा काम करना जो समय समय पर सामान्य निकाय तथा / या शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri

Scanned by CamScanner

ग: किसी मामले पर विचार विमर्श को अनुज्ञात या अस्वीकार करना जो एजेंडों में शामिल नहीं किया जाता है।

घ: सोसायटी / शासकीय निकाय के उचित तथा पारदर्शी कृत्य करना सुनिश्चित करना।

ङ: हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की कडी अनुपालना सुनिश्चित करना।

च: सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियों का पर्यवेक्षण तथा गाईड करना।

2. उप-प्रधान

क. प्रधान की उसके कर्तव्यों को करने में सहायता करना।

ख. प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान की ओर से कार्य करना तथा सभी कर्तव्यों को पूरा करना तथा सभी शक्तियों का प्रयोग करना।

ग.सभी ऐसे कार्य,कर्म तथा काम करना जो शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

3. सचिव

क. सोसायटी के सभी कार्यो को करना,संघटित करना,पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध करना तथा सोसायटी के कार्य के लिए सभी ऐसे कार्य करना तथा सभी ऐसे कर्तव्य पूरे करना जो प्रधान /शासकीय निकाय द्वारा सौपे जाए:

ख.शासकीय निकाय के सम्मुख सोसायटी की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करना,सर्वीक्षा करना तथा रखना तथा सदस्य का नाम उसके आधक्षर के अधीन सदस्यों के रजिस्टर में यदि अनुमोदित हो,दर्ज करना तथा उसके बारे में सदस्यों को सूचित करना तथा इस प्रकार शामिल किए गए सदस्यों को पहचान पत्र जारी करना।

ग.प्रधान की सहमति से सामान्य निकाय/शासकीय निकाय की बैठक आयोजित करना तथा इन उपविधियों के अधीन तथा विहित उचित नोटिस तामील करना।

घ.सामान्य निकाय तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों में हाजिर होना तथा बैठक करने में प्रधान की सहायता करना तथा सभी बैठकों को कार्यवाहियों का रिकार्ड करना।

ड.सोसायटी की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसे रखने के अनुमोदन के लिए सोसायटी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखो सहित शासकीय निकाय के सम्मुख उसे रखना।

च.सोसायटी/शासकीय निकाय का रिकार्ड रखना तथा परीक्षण करना।

HUMANITY & RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Shilu
President

HUMANITY & RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Gen. Secretary

HUMANITY & RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Sushil
Cashier

Scanned by CamScanner

छ. जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी वैधानिक विवरणी/दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारों को समय पर दायर करना सुनिश्चित करना जो हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए जाएं।

ज. सोसायटी की सामान्य मृदा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अभिरक्षक होना तथा शासकीय निकाय के अनुमोदन के लिए अभिरक्षक होना तथा शासकीय निकाय के अनुमोदन के अनुसार जहां कही अपेक्षित हो उसे लगाना।

झ.सोसायटी /शासकीय निकाय की ओर से पत्राचार करना तथा उसकी ओर से पत्रों तथा कागजों पर हस्ताक्षर करना तथा सुनिश्चित करना कि सभी वैधानिक रजिस्टर तथा रिकार्ड को उचित रूप से रखे तथा अनुरक्षित किए जा रहें है।

ञ. निर्वाचन तथा वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि की घोषणा से पूर्व मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार विधिवत अद्यतन करना तथा शासकीय निकाय के सम्मुख इसे रखना ।

ट. सोसायटी के सभी कार्यक्रमों के प्रशासन तथा निष्पादन के सम्पूर्ण प्रभारी के रूप में कार्य करना/ जिसमें पदों का सृजन ,वेतन/पारिश्रमिक /भत्तों इत्यादि का नियतन,अमले की नियुक्तियां करने/लगाने खरीद करने सहित शासकीय निकाय की ओर से वित्तीय कार्य शामिल है तथा सभी अन्य ऐसे काम करना जो समय समय पर शासकीय निकाय द्वारा प्रत्यायोजन के अनुसार सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रोत्साहन में आवश्यक हो तथा जहां कोई भी ऐसा प्रत्यायोजन सोसायटी के प्रधान के परामर्श से विशिष्ट रूप से नही किया जाता है।

4. सह-सचिवः

क. सोसायटी के महासचिव/ सचिव की उसके कृत्यों तथा कर्तव्यों को करने में सहायता करना।

ख. सोसायटी निकाय द्वारा प्राधिकृत सीमा तक उसी अनुपस्थिति में सोसायटी के सामान्य सचिव/सचिव के कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना।

ग. ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्यों की देखभाल करना तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जो समय समय पर सोसायटी के शासकीय निकाय द्वारा सौपे तथा प्रत्यायोजित किए जाए।

5. खंजाची :

क. सोसायटी के सभी वित्तीय संव्यवहारों तथा सोसायटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशियों के लेखे रखना तथा ऐसे मामलों से सम्बन्धित तथा परिसम्पति जमा तथा दायित्वों की प्राप्तियों तथा खर्चो के रिकार्ड रखना।

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Gen. Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Cashier

Scanned by CamScanner

ख. प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासकीय निकाय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित सोसायटी के लेखे प्राप्त करना।

ग. वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व सोसायटी के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे महा सचिव/सचिव के माध्यम से शासकीय निकाय को प्रस्तुत करना।

घ. सोसायटी की सभी लेखा पुस्तकों ,वित्तीय विवरणी,रसीद पुस्तकों,व्यय वाउचरों बैंक पास बुक तथा चैक बुक नकदी इत्यादि के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में कार्य करना।

7. **शासकीय निकाय की सदस्यों की समाप्ति :** शासकीय निकाय के पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी /कार्यकारी सदस्य के रूप में नही रहेगे।

क. उसके त्याग पत्र प्रस्तुत करने पर तथा स्वीकृति करने पर :

ख. यदि वह इन उप विधियों के खण्ड 4 के उप खण्ड (8) के अनुसार सदस्य के रूप में नही रहा है।

ग. यदि उसे सामान्य निकाय की बैठक में पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है।

8. **समिति के नियोजन से अपवर्जन :**

क. समिति का कोई भी सदस्य समिति के पूर्ण कालिक या अंशकालिक नियोजन में नही रहेगा।

ख .शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का कोई भी आश्रित या पारिवारिक सदस्य या निकट सम्बन्धी उसकी अवधि के दौरान समिति के कर्मचारी के रूप में नही लगाया जाएगा।

ग .शासकीय निकाय का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषणा करेगा यदि समिति के नियोजन में कोई व्यक्ति उसका निकट सम्बन्धी है।

9. **समिति के संगम ज्ञापन उपविधियों नाम इत्यादि में संशोधनः**

समिति के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों या नाम का परिर्वतन समामेलन या विभाजन में कोई संशोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल सामान्य निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा। अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित किसी ऐसे संशोधन या परिवर्तन की सूचना ऐसे समय के भीतर महासचिव /सचिव द्वारा जिला रजिस्टार के कार्यालय में दायर की जाएगी जो हरियाणा समिति रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों मे विहित की जाए।

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Gen. Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Cashier

Scanned by CamScanner

10.समिति की परिसम्पति तथा निधियों का प्रबन्धन:

1.समिति की आय के स्त्रोतों में सदस्यता फीस वार्षिक अंशदान,सम्पति /परिसम्पति से किराया ब्याज परामर्श फीस दान,उपहार अनुदान इत्यादि के मदे प्राप्तियां शामिल होगी । समिति इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त लघु अवधि कर्ज के द्वारा या ब्याज पर अनुसूचित बैक से भी निधियां ले सकती है। समिति किसी समिति,राष्ट्रीकृत बैंक व किसी अनुसूचित बैक, वित्तीय संस्थायों से कर्ज ले व दे सकती है।

2. शासकीय निकाय वित वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्च के आधार पर समिति के वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा अनुमोदन करेगा तथा सूचना के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसकी प्रति भी रखेगा।

3.समिति के बैक लेख ऐसे सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रधान व सचिव द्वारा संचालित किये जाएंगे जो समय समय पर शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाए।

4. सभी परिसम्पति तथा निधियां समिति से सम्बन्धित होगी तथा समिति में निहित होगी।

5. समिति की सभी प्राप्तियां तथा भुगतान बैंक दस्तावेजो के माध्यम से किए जाएंगे(अर्थात डी डी/पे आर्डर/चैक/बैंक ट्रांसफर/आरटीजीएस) जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान की ओर सभी प्राप्तियां शामिल है। तथापि शासकीय निकाय वित्तीय संव्यवहार की सीमाएं अवधारित कर सकता है। जो कतिपय अन्य मामलों में नकद में जा सकती है।

11.समिति के लेखे:

1. समिति का खजांची आय कर कानून तथा/या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तको अर्थात रोकड बही लेजर इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेवार होगा जिसमें समिति द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियो तथा समिति की परिसम्पति तथा दायित्वों के सम्बन्ध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत की चार्टर्ड लेखाकार की संस्था शामिल है।

2. समिति की लेखा पुस्तिके समिति के महा रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार जिला रजिस्ट्रार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तथा किसी सदस्य द्वारा कारोबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

3. समिति के वार्षिक लेखे समिति के किसी दो प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाऐगे।

4. शासकीय निकाय ऐसे पारिश्रमिक पर जो शासकीय निकाय द्वारा अवधारित किया जाए प्रत्येक वर्ष के लिए समिति के लेखों की लेखापरीक्षा तथा आयकर विवरणी को दायर करने के लिए चार्टर्ड

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Shile
President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Gen. Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Sushil
Cashier

Scanned by CamScanner

लेखाकार को नियुक्त करेगा,जो शासकीय निकाय का सदस्य या शासकीय निकाय के किसी सदस्य का पारिवारिक सदस्य नही होगा।

12.सामान्य मुद्राः

समिति के पास एक सामान्य मुद्रा होगी जो महा सचिव/ सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा शासकीय निकाय द्वारा अनुमोदन के अनुसार जहां कही यह अपेक्षित हो लगाई जाएगी।

13.समिति का समामेलनः

समिति स्वयं को एक समान लक्ष्यों तथा उद्देश्यो सहित स्थापित किसी अन्य समिति में सम्मिलित कर सकती है या अधिनियम की धारा 51 तथा इसके अधीन.बनाये गए नियमों के नियम 35 के अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार इस विभिन्न पारित विशेष संकल्प द्वारा स्वयं में समामेलित करने के लिए किसी अन्य समिति का अनुज्ञात कर सकती है।

14. समिति का विघटनः

1.समिति अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार स्वयं को विघटन करने के लिए प्रस्ताव कर सकती है यदि समिति की प्रक्रिया को चलाना कठिन हो जाता है या वह दिवालिया हो जाती है या किसी अन्य दबाव तथा अपरिहार्य कारणो से इसे चलाना कठिन हो जाता है।

2.इसकी परिसम्पति तथा सम्पतियां पहले किसी दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाएगी तथा छोडी गई सम्पतियां /परिसम्पतियां आदि कोई हो,समरूप लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य समिति को या साधारण लोकहित में उसके प्रयोग के लिए जिला कलैक्टर के अन्तहरण के लिए विचारी जाएगी।

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi ...
President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, ...
Gen. Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Cashier

Scanned by CamScanner

शर्ते :–

1. समिति की आय व सम्पति का प्रयोग के उन उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु ही किया जाएगा जिनका समिति के ज्ञापन में वर्णन किया गया है तथा आय व सम्पति के किसी भी भाग को समिति के सदस्यों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ढंग से न तो दिया जायेगा न ही सदस्यों के नाम हस्तांतरित किया जायेगा ।
2. समिति का कोई भी सदस्य उसकी अथवा उसकी राशि के किसी भी वेतन पाने वाले पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसे पद पर जिसका भुगतान फीस द्वारा किया जाये तथा समिति की राशि के किसी भी सदस्य को उसके जेब खर्च, उससे उधार ली गई धन राशि पर ब्याज व सदस्यों के प्रयोग हेतू उसके भवन परिसर के किराये इत्यादि के भुगतान के सिवाय किसी भी अन्य प्रकार का पारिश्रमिक देय नही होगा।
3. समिति अपने संविधान के अनुसार किसी भी लाभ अथवा अन्य आय को समिति के उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु ही खर्च करने के लिए बाधित होगी ।
4. समिति के समापन अथवा विघटन के कारण समिति के समस्त ऋणों के दायित्वों की संतुष्टि/भुगतान के उपरान्त किसी भी प्रकार की कोई चल व अचल सम्पति शेष रह जाती है तो उस सम्पति को न तो राशि के सदस्यों को देय होगी और न ही सदस्यो मे हस्तांतरित की जायेगी अपितु शेष राशि किसी समान उद्देश्यो वाली समिति को दी जायेगी जिसका निर्णय समिती के सदस्य को निपटान के समय अथवा उनके पुर्ण करना होगा ।
5. समिति के सदस्यों के मध्य उत्पन्न किसी विवाद की स्थिति में जिला रजिस्ट्रार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। समिति के सदस्य स्वयमेव उस विवाद का निपटारा करेंगें।

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Shiler
President

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Gen. Secretary

HUMANITY E RELIGION FOUNDATION
W. No.-3 Gikhara Road, Charkhi Dadri
Cashier

Scanned by CamScanner